Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में रेलवे का वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *16 सितम्बर, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा एसयू इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मुकेश चंद जाटव वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) रेलवे वर्कशॉप, कोटा को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा एसयू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा खुली नीलामी में प्राप्त पेड़ों की कटाई के कार्य के कुल निविदा राशि 16 लाख रुपये भुगतान के 3 प्रतिशत कमीशन के रूप में मुकेश चंद जाटव वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) रेलवे वर्कशॉप, कोटा द्वारा **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्वत** के सुपरवीजन में एसीबी, कोटा एसयू इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री धर्मवीर सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मुकेश चंद जाटव पुत्र श्री कल्लाराम जाटव निवासी प्लॉट नं0 19–20, मधुनगर, सोगरिया, कोटा हाल वरिष्ठ सेक्शन इंजिनियर कार्य. (द्वितीय) रेलवे वर्कशॉप, कोटा को परिवादी से **20 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत से पूर्व ही रिश्वत के रूप में **10 हजार रुपये** वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।